

1239
2/12/13

7/12/13

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो)

लगान धार्य अभिलेख संख्या:- 06/2013-14


दिनांक	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
3/10/13	<p>आवेदक श्री आशुतोष महतो पिता स्व० नुईयाँ महतो सा० तेलीडीह साईड चास ने आवेदन समर्पित कर दो पर्चा के माध्यम से D.P.L.R. द्वारा आवंटित भूमि मौजा तेलीडीह थाना नं० 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 कुल रकवा 97 डी० भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। इस संबंध में हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तेलीडीह थाना नं० 35 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247 रकवा 2.60 एकड़ प्लॉट नं० 1629 रकवा 0.32 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है। उक्त खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 में रकवा 0.97 ए० भूमि बिहार सरकार (उद्योग विभाग), निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुर्नवास धनबाद द्वारा बोकारो स्टील कारखाने में विस्थापित को पुर्नवास क्षेत्र में गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता नुईयाँ महतो को पुर्नवास पर्चा आवंटित है। पहला फर्च में रकवा 0.80 ए० एवं दुसरे पर्चा में 0.17 ए० कुल 0.97 ए० भूमि सम्मिलित है। आवंटित भूमि पर पर्चाधारी का मकान एवं सहन है जो चाहरदीवारी से घिरा हुआ है। आवंटित भूमि वनसीमा/सैरात/भूदान के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः पर्चाधारी पुर्नवास रैयत के नाम से लगान धार्य हेतु अनुशांसा की जा सकती है। लगान धार्य संबंधी प्रपत्र प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रपत्र में निम्न बातें अंकित की गई हैं। पर्चाधारी पुर्नवास रैयत का नाम गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो, पिता नुईयाँ महतो वर्तमान रैयत का नाम (1) श्रीमति वालिका देवी पति शशधर महतो (2) आशुतोष महतो पिता नुईयाँ महतो (3) जिमतु महतो पिता स्व० राधानाथ महतो सा० तेलीडीह साईड मौजा तेलीडीह थाना नं० 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 रकवा 0.97 ए० किसम जमीन मकान सहन लगान 10.00 रूपये प्रति एकड़ प्रस्तावित लगान 9.70 रूपये। साथ ही हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पर्चाधारी गंगाधर महतो ने श्रीमति वालिका देवी को केवाला नं० 2242 दिनांक 8.3.88 से विक्री किये हैं। गंगाधर महतो नाबल्द फौत कर चुके है। आशुतोष महतो जीवित है। राधानाथ महतो की मृत्यु हो चुकी है उनके एक</p>	

J. Mahato

मात्र पुत्र जिमतु महतो है। अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संलग्न पुर्नवास परचा के आधार पर क्रमशः 80 डी0 एवं 17 डी0 भूमि जो कि विस्थापित रैयत गंगाधर महतो, आसुतोष महतो वो राधानाथ महतो के नाम पर केश. नं0 24/62-63 के अन्तर्गत पुर्नवास हेतु आवंटित है। उक्त परचा का सत्यापन परियोजना भूमि एवं पुर्नवास कार्यालय बोकारो से कराया जा सकता है। साथ ही अंचल अमीन सं आवंटित भूमि का ट्रेड नक्शा तीन प्रति में दखल प्रतिवेदन सहित प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार विविध वाद प्रारम्भ कर लगान निर्धारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः प्रतिवेदन के आलेक में परियोजना भूमि एवं पुर्नवास कार्यालय बोकारो से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग करें तथा अंचल अमीन से दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की मांग करें। तथा इस संबंध में आम सूचना निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
चास।



12-39
2/11/13

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर

Handwritten signature and the word 'अभिलेख' (Abhilekha).

2/11/13

अभिलेख उपस्थापित। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 480 दिनांक 25.10.2013 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता स्व० नुईर्यो महतो को पुनर्वास क्षेत्र तेलीडीह, थाना नं० 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247 अंश पुनर्वास प्लॉट नं० 180 रकबा 0.17 एकड़ परचा संख्या 40 एवं खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247 अंश, 1629 अंश पुनर्वास प्लॉट नं० 181, 182, 183 रकबा 0.80 एकड़ परचा संख्या 2045 निर्गत किया गया है। साथ ही अंचल अमीन का प्रतिवेदन भी प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा समर्पित दो परचा के माध्यम से D.P.L.R. द्वारा आवंटित भूमि मौजा तेलीडीह थाना 34 खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1247, 1629 रकबा 0.97 ए० भूमि मापी किया जिस पर आवेदक का घर एवं चाहरदिवारी ईटा से घेरा हुआ है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मापी की गई भूमि का नक्शा पर लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रतिवेदन के साथ ट्रेड नक्शा भी संलग्न है।

अतः उपरोक्त सारे तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है। अतः अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास को भेजें।

Handwritten signature.

Handwritten signature and text.

Handwritten signature.



अचल अधिकारी

चास

J. Mahato

Handwritten signature and text.

7/12/13



12 अक्टूबर 14-फारम नं० 50.

अनुशासक
कम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ.
कार्यवाई के द्वारा
दिपशि
तारीख के साथ

18/11/13 अगिलेख उपस्थापित।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1475 दिनांक 02.11.2013 द्वारा आवेदक श्री आशुतोष महतो पिता-स्व० नुर्यौं महतो, सा०-तेलीडीह साईड, चास, जिला-बोकारो का लगान निर्धारण से संबंधित अगिलेख संख्या-06/2013-14 प्राप्त हुआ है जो मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के अन्तर्गत खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 रकबा 0.97 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तेलीडीह थाना नं०-34, खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 रकबा 2.60 एकड़ एवं प्लॉट नं०-1629 रकबा 0.32 एकड़ भूमि मत्त सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है। उक्त खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 में रकबा 0.97 एकड़ भूमि बिहार सरकार (उद्योग विभाग) निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास धनवाद द्वारा बोकारो स्टील कारखाने में विस्थापित को पुनर्वास क्षेत्र में गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता-नुर्यौं महतो को पुनर्वास पर्चा आवंटित है। पहला पर्चा में रकबा 0.80 एकड़ एवं दूसरे पर्चा में 0.17 एकड़ कुल 0.97 एकड़ भूमि सम्मिलित है। आवंटित भूमि पर पर्चाधारी का मकान एवं सहन है जो चाहरदीवारी से घिरा हुआ है। आवंटित भूमि वनसीगा/सैरात/भूदार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1391 दिनांक 07.10.2013 के क्रम में निदेशालय परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के पत्रांक 480 दिनांक 25.10.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता-स्व० नुर्यौं महतो को पुनर्वास क्षेत्र तेलीडीह, थाना नं०-34 खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 अंश पुनर्वास प्लॉट नं०-180 रकबा 0.17 एकड़ परचा संख्या-40 एवं खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247 अंश, 1629 अंश पुनर्वास प्लॉट नं०-181, 182, 183 रकबा 0.80 एकड़ परचा संख्या-2045 निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा लगान निर्धारण हेतु विहित प्रकृत्त में अगिलेख प्राप्त है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रति एकड़ 10.00 (दस) रुपये प्रस्तावित लगान 9.70 रुपये अलावे शेष की दर से लगान निर्धारण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34 के अन्तर्गत खाता नं०-43, प्लॉट नं०-1247, 1629 रकबा 0.97 एकड़ भूमि प्रति एकड़ 10.00 (दस) रुपये प्रस्तावित लगान 9.70 रुपये अलावे शेष की दर से भूमि सुधार अधिनियम की धारा 1950 सेक्सन 5, 6, 7 के तहत लगान निर्धारण करने हेतु निर्गत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

P. Mahto

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो)

क्रमांक:- 315 /

दिनांक:- 19/12/13

भू-सत्यापन प्रमाण पत्र

श्री विजय कुमार शर्मा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, चास के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवंटित भूमि भौजा रेलीडी थाना नं० 34 के खाता नं० 43 प्लॉट नं० 1257-1624 रकबा 0.93 ^{अंश} ~~सब खतियान के~~ अंश ~~अंश~~ प्राप्त ~~अंश~~ खाते की भूमि है। पंजी II में जमाबंदी संख्या 4534 पर आशुतोष शर्मा, जगन्नाथ शर्मा, उदयनाथ शर्मा, वि० कुंजभद्र के नाम से जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद वर्ष 2013-14 तक निर्गत है।

P. Mehta

19/12/13
 अंचल अधिकारी
 चास।
[Signature]

निदेशालय, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो।

पत्रांक 480

प्रेषक :- निदेशक,
परियोजना भूमि एवं पुनर्वास,
बोकारो।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
चास।

बोकारो/दिनांक : 25/11/2013

विषय :- सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक - 1391 दिनांक 07.10.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि गंगाधर महतो, आशुतोष महतो, राधानाथ महतो पिता स्व० नुईर्यो महतो को पुनर्वास क्षेत्र -- तेलीडीह थाना नं० - 34, खाता नं० - 43, प्लॉट नं० - 1247 अंश, 1629 अंश, पुनर्वास प्लॉट नं० - 180, रकबा - 0.17 एकड़ परचा संख्या - 40 एवं खाता नं० - 43 प्लॉट नं० - 1247 अंश, 1629 अंश, पुनर्वास प्लॉट नं० - 181, 182, 183, रकबा - 0.80 एकड़ परचा संख्या - 2045 निर्गत किया गया।



J. Mahli

विश्वासभाजन

[Signature]
निदेशक 25/11/13

परियोजना भूमि एवं पुनर्वास
बोकारो।
25/11/13

पञ्जा - वेणी झील
 भागा - 10-34

थाना - पास (पीपुलजोरा)
 अंचल - पास
 जिला - वाकरो
 क्षेत्र 16[॥] = 1 मील




निदेशालय परिमोजना भूमि एवं पुनर्वास
 क्रमांक सं - 40, 2045

आवासीय निस्थापित का नाम एवं पता

(1) गंगाधर मस्ते, आसुवीप मस्ते, राधानाथ मस्ते
 पिता :- स्वर्ग नुईया मस्ते क्षेत्र वापुजोरा म. व्योड

खता नं०	लॉट नं०	क्षेत्र
43	1247	0.17
	1629	
43	1247	0.80
		0.97

- 30 - स्वर्ग लॉट 1247 अंश
- 40 - पुर्ववास खडक
- 50 - नेकारण मित्रा
- 40 - लॉट नं० 2303 नीज आवासीय जगह
वापुजोरा मीणा



J. Mahto

(Signature)
 जगजित सिंह



भारत सरकार
Government of India



जीमूत माहो
Jitmut Mahto
जन्म तिथि/DOB: 21/01/1977
पुरुष/ MALE

UIDAI Date: 07/08/2011

7919 7248 1156

VID : 9110 3257 1231 4763

भेरा आधार, भेरी पहचान

J. Mahto



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O Radha Nith Mahato, 161, PO.-
NARAYANPUR, PS.- PINRAJORA,
BANKHORA SIDE, Bokaro,
Jharkhand - 827013



Address:
S/O Radha Nith Mahato, 161, PO.-
NARAYANPUR, PS.- PINRAJORA,
BANKHORA SIDE, Bokaro,
Jharkhand - 827013

7919 7248 1156

VID : 9110 3257 1231 4763

1047 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

CHAS MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No. : 913610220723113704

Date : 22-07-2023

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री JIMUT MAHTO S/O RADHA NATH MAHATO,
मोहल्ला TELIDIH CHAS
BOKARO, 827013
7717723161

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0290001133000M0 वार्ड सं० 29 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	425.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		425.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, CHAS MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- CHAS MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हस्तियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दफ्तलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

J. Mahto

हरजो-रखी कारखाने के विस्थापितों को पुनर्वास क्षेत्र में आवंटित जमीन का पर्चा।

गांव का नाम हरजो-रखी पुनर्वास क्षेत्र या ब्लॉक - धाना नं० 38 धाना रखी हाकधर रखी जिला धनवाह

- १ आवंटित विस्थापित का नाम एवं पता शंकाधर महतो, आसुरीष महतो
- २ पित्रा/पति का नाम शंकाधर महतो पिता मुकुंद महतो उ० जे०
- ३ सर्वे खाता नं० ४३ लेसरा नं० १२४६ खास १६२१
- ४ पुनर्वास प्लॉट सं० १२०
- ५ आवंटित रकबा
ए० १ बी० ०-१६ (समूह १३ शामिल)
- ६ चौहदी
उत्तर रैवती सर्वे खाते नं० १२४६
- दक्षिण ५० शंका
- पूर्व ५० खाते नं० १२९ (उद्योग विभाग)
- पश्चिम मुख्य सड़क
- ७ समाहर्ता द्वारा धार्य उचित लगान
- ८ भूमि का प्रकार गृह प्रयोग
- ९ नवयत (सीज या कायमी) चायमी
- १० केस सं० २४/६२-६३
(इंजिनियरिंग सेडल के अनुसार)
- ११ व्ययुक्ति

इसे अल्पतः सावधानी से रखा जायें।
नहीं दी जायगी।

जा
स० ति०

उपरोक्त जमीन बिहार सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु अर्जित कर विस्थापित द्वारा नुमा १२६/१ खाता सखामी के रूप में जमा करने पर उक्त जमीन पर घर बनाकर उसमें स्वयं एवं अपने परिवार के साथ रहने के लिये उनके साथ बन्दोबस्ती की जाती है ये समाहर्ता द्वारा धार्य जमीन का लगान साल व. साल दिया. कहेगे इस जमीन को बिना सरकार की अनुमति के न तो आप बेच सकते हैं और न किसी अन्य को दान दे सकते हैं।

शंकाधर महतो
१०/४/२०२६

सहायक निदेशक
परियोजना विभाग एवं पुनर्वास, धनवाह।
कारखाने स्टेशन

जिला परिषद प्रेस, धनवाह-२०,०००-२१-१-५६

J. Mahato

बिहार सरकार
(विशेष विभाग)

दिनांक 2/4/55

निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, लखनऊ-बौकरी

हस्ताक्षर

याकांत स्थल कारवाय के विस्थापितों के पुनर्वास क्षेत्र के आवंटित जमीन का पता।

पता नं० नाम (अथवा पुनर्वास क्षेत्र या जमीन) जमीन नं० 34 पता याकांत स्थल कारवाय के विस्थापितों के पुनर्वास क्षेत्र के आवंटित जमीन का पता।

बिना सीमा

1. आवंटित दिव्यापित का नाम एवं पता गंगाधर महेतो जी आशुतोष महेतो बौकरी

2. पितृ/पति का नाम श्री 2 महेतो श्याम महेतो पता पुनर्वास क्षेत्र बिना सीमा

3. पुनर्वास नं० 43 तमना नं० 120/2 अथवा पुनर्वास क्षेत्र बिना सीमा

4. पुनर्वास प्लॉट नं० 181-182-183 1629 अथवा पता बौकरी

5. आवंटित रकबा ए० ए० 80 (आरसी) डी०

6. चोहदी उत्तर उत्तरी (नो०) ए० 124 का भाग उत्तरी उत्तर

7. दक्षिण पुनर्वास ए० 155

8. पूर्व उत्तरी उत्तरी उत्तरी

9. पश्चिम पुनर्वास उपखण्ड-180

10. समाह्वतों द्वारा नाम दिवित नाम

11. भूमि का प्रकार गृह परखण्ड

12. तबयत (लौज या कायमी) कायमी

13. केस नं० 24/62-63 (इंजिनियरिंग संशुद्ध के अनुसार)

14. अन्वयित निदेशक के आदेशानुसार पच्चीस नैगारो किया गया।

उपरोक्त जमीन बिहार सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु अजित कर दिव्यापित द्वारा कुल 40/2 रकबा सजाली के रूप में जमा करने पर उक्त जमीन पर धर वनाकार उसात स्वयं एग अन्वये परिदाय के साथ रदत के विवे उक्त माय बन्दोस्ती हो जातो है मे गवाहती द्वारा धार जमीन का नगरा माय क साथ दिपो करणे इग जमीन को बिना गकार की अनुमति के न हो आत वेच सकते है और न कितो अन्य को दान दे सकते है

25/11/55

परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, लखनऊ-बौकरी

जिला परिषद प्रेम, धनबाद-20,000-21-1-55

25/11/55

J. Mohan